बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–46 / 2026 / पटना, दिनांक –

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–3407 दिनांक 11.09.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती साक्षी ठाकुर, (जे0 10996), कनीय अभियंता (असैनिक), सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, सासाराम द्वारा अपने प्रथम संतान के देख–भाल हेतु दिनांक 15.09.2026 से 14.12.2026 तक (कुल–91 दिन) को बिहार सेवा संहिता के नियम–220A तथा वित्त विभागीय संकल्प सं0–9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को उनके पत्रांक–3407 दिनांक 11.09.2026 के प्रसंग में / कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, सासाराम / श्रीमती साक्षी ठाकुर, कनीय अभियंता (असैनिक), सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 5952 पटना, दिनांक – 12/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।